मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर, राशमी जिला चित्तौड़गढ़ कैम्प कॉर्ट भीमगढ

अनवान

1. शंकरी पिता नारू जाति जाट आयु बालिग निवासी भीमगढ तहसील राशमी जिला चित्तौडगढ।

वादिया

बनाम

1. शंकर पिता नारू जाति जाट आयु बालिग निवासी भीमगढ तहसील राशमी जिला चित्तौडगढ।
2. तहसीलदार साहब एवं उपंपजीयन अधिकारी राशमी तहसील राशमी जिला चित्तौडगढ राज0।

प्रतिवादीगण

-:: वादपत्र घोषणा बंटवाडा एवं स्थाइ निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88,89 ,188 राजस्थान टेनेन्सी एक्ट ::-

प्रकरण संख्या :- 011/2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलात कतई रुबरु श्री मनोहर गोस्वामी अधिवक्ता वादीया एवं प्रतिवादी की और से अधिवक्ता हरिश जोशी की उपस्थिती में मिनजतिब मुदालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीया का वाद स्वीकार किया जाता है एवं आदेश दिया जाता है कि मौजा भीमगढ पटवार हल्का भीमगढ की जमाबंदी संवत् 2076-2077(वर्ष 2020) के खाता संख्या 981 में दर्ज अंकन शंकर पिता नारू जाट 1/2 की बजाय शंकरी पिता नारू जाति जाट 1/4,शंकर पिता नारू जाति जाट 1/4 मौजा भीमगढ पटवार हल्का भीमगढ की जमाबंदी संवत् 2076-2077(वर्ष 2020) के खाता संख्या 973 मे दर्ज अंकन शंकर पिता नारू जाट 1/4 की बजाय शंकरी पिता नारू जाति जाट 1/8,शंकर पिता नारू जाति जाट 1/8, मौजा भीमगढ पटवार हल्का भीमगढ की जमाबंदी संवत् 2076-2077(वर्ष 2020) के खाता संख्या 983 मे दर्ज अंकन शंकर पिता नारू जाट 1/5 की बजाय शंकरी पिता नारू जाति जाट 1/10,शंकर पिता नारू जाति जाट 1/10, मौजा भीमगढ पटवार हल्का भीमगढ की जमाबंदी संवत् 2076-2077(वर्ष 2020) के खाता संख्या 982 मे दर्ज अंकन शंकर पिता नारू जाट 1/4 की बजाय शंकरी पिता नारू जाति जाट 1/8,शंकर पिता नारू जाति जाट 1/8, दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। रहन बदस्तुर रखा जावे। साथ ही पक्ष वादिया विरूद्ध प्रतिवादीगण के स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि प्रतिवादीगण वादिया के कब्जे काश्त में किसी प्र[illegible] रुकावट बाधा उत्पन्न नहीं करे तथा वादिया को अपने हक हिस्से [illegible] कर जबरन कब्जा नहीं करे ऐसा न तो स्वयं करे न [illegible] एजेन्ट आदि से ही करावें। पर्चा तद्नुसार राजस्व रिकार्ड [illegible] किया जावें। डिक्री जारी की जाती है। खर्चा [illegible] अपनी वहन करे।

यह निर्णय प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 शिविर [illegible] में लिखाया जाकर आज दिनांक 17.11.202[illegible] को मजमें आम में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Neeta Vaseeta
Date: 2021.12.08 11:46:46 IST
Reason: SelfAttested

(नीता वसीटा)
सहायक कलेक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी

प्रशासन गांवों के संग अभियान
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, राशमी

Scanned by CamScanner

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रूपये	पैसे	मुदालयत	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बाबतईजराय हुक्मनामा			बाबतईजराय हुक्मनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, राशमी

(नीता वसीटा)
सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी

Signature Not Verified

Digitally signed by Neeta Vaseeta
Date: 2021.12.08 11:46:46 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner